राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(4)गृह–1/2022 (16383)   जयपुर, दिनांक :

<u>आदेश</u>

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2023–24 की दिनांक 24.01.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री शिवदयाल बलाई/भोलाराम (एससी), पुलिस निरीक्षक एवं श्री कैलाश चन्द/किशन लाल (एससी), पुलिस निरीक्षक के विरूद्व क्रमशः पुलिस आयुक्त, जयपुर के आदेश क्रमांक 1285–89 दिनांक 12.07.2021 द्वारा नियम 32 सीसीए की विभागीय जांच विचाराधीन होने एवं पुलिस अधीक्षक, जिला चितोड़गढ़ के आदेश क्रमांक 10628 दिनांक 18.05.2022 द्वारा नियम 17 सीसीए की विभागीय जांच विचाराधीन होन के कारण इनकी पदोन्नति की अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई।

उक्त विभागीय जांच को क्रमशः पुलिस आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 30.10.2021 एवं महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर के आदेश दिनांक 19.06.2023 के द्वारा अपास्त किया गया है। इस कारण राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2023–24 की दिनांक 24.01.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सील्ड कवर में किये गये श्री शिवदयाल बलाई/भोलाराम एवं श्री कैलाश चन्द/किशन लाल की पदोन्नति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री शिवदयाल बलाई/भोलाराम एवं श्री कैलाश चन्द/किशन लाल को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2023–24 में क्रमशः दिनांक 01.05.2023 व 01.02.2024 की रिक्ति के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री शिवदयाल बलाई/भोलाराम की वरिष्ठता श्री धर्मसिंह मीणा/मेघाराम, (एसटी) के नीचे एवं श्री कैलाश चन्द/किशन लाल की वरिष्ठता श्री गोपाल लाल/गंगाराम (एससी) के नीचे निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री शिवदयाल बलाई/भोलाराम एवं श्री कैलाश चन्द/किशन लाल, आरपीएस को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

लोक सभा निर्वाचन–2024 के संबंध में जारी आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर श्री शिवदयाल बलाई/भोलाराम एवं श्री कैलाश चन्द/किशन लाल अग्रिम आदेश तक वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कश्मी कौर)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

RajKaj Ref
6995178

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashmi Kaur Raan
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.05.07 19:57:26 IST
Reason: Approved

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

D:/JHALA 2022/ACP/Latter